



श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एम0एस0/जेयु/ई/98-99/ 6744

दिनांक 21.11.98

::- कार्यालय आदेश ::-

=====

चयन समिति की अनुसंधान स्वयं संचालन समिति, श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर के निर्णय संख्या 48/18 दिनांक 05-10-98 की अनुपालना में श्री अशोक कुमार सिंह शेखावत -बी. कॉम., बी. एड. पिता का नाम श्री डी0एस0शेखावत ठिकाना 345-हमंवत-ए बी0जे0एस0कोलोनी, जोधपुर को श्री महेश सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर में व0आ0 के पद पर रुपये 1400/- मूल वेतन प्रतिमाह, वेतन शृंखला 1400-2600 स्वयं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में देय मंहागाई व अन्य भत्तों पर अस्थाई नियुक्ति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

- 01॥ ये आदेश शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन प्रसारित करने की शर्त पर प्रसारित किया जाता है।
- 02॥ प्राप्ति को संस्था में 07 दिन के भीतर विधिवत पद ग्रहण करने की सूचना संस्था प्रधान द्वारा इस कार्यालय में देनी होगी अन्यथा आदेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा।
- 03॥ ये आदेश राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के उपनियम 33 के तहत प्रसारित किया जा रहा है।
- 04॥ ये आदेश कार्य ग्रहण करने की तिथि से अनुमोदन प्राप्त होने या छः माह तक जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा तथा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो इनकी सेवास छः माह बाद समाप्त समझी जायेगी।
- 05॥ निर्धारित समय तक नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति को एक वर्ष के परी-विक्षण काल में परिवर्तित किया जा सकेगा।

श्री अशोक कुमार सिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण - पत्रों के आधार पर इनकी जन्म तिथि 18-06-74 है।

इस संदर्भ में उक्त संस्था के स्वीकृत बजट के अनुसार देय होगा।

॥ एस0 वी0 काबरा ॥
मानद सचिव

क्रमांक : एम0एस0/जेयु/ई/98-99/

दिनांक :-

प्रतिनिधी सूचनार्थ स्वयं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को भेजी जा रही है:-

01॥ प्राचार्य श्री महेश सी0मा0 विद्यालय

02॥ बिबल वर्क श्री महेश सी0 मा0 विद्यालय

03॥ लेखाशाखा - केन्द्रीय कार्यालय

04॥ आदेश/सुरक्षा प्रजिका

05॥ संबंधित कर्मचारी

06॥ निजी प्रजिका

प्रतिनिधी सूचनार्थ :-

01॥ उपाध्यक्ष श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर

02॥ जिला शिक्षा अधिकारी ॥मा॥ शिक्षा विभाग,

03॥ उपनिदेशक ॥मा॥ शिक्षा विभाग, जोधपुर

21.11.98

मानद सचिव

श्री महेन्द्र शिक्षण संस्थान, जोधपुर
क्रमांक-एम. एस. जे. ए. / 2001-02/ए-6 /

50

दिनांक

// कार्यालय आदेश //

+ 11 copies

संस्थान समिति, श्री महेन्द्र शिक्षण संस्थान, जोधपुर की बैठक दिनांक 20.10.2001 के निर्णय क्रमांक 2 (च) के अनुसार श्री अशोक कुमार मिश्रा जी...
...श्री महेन्द्र तीनियर माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर को दिनांक 25.11.2000 से संस्था की सेवा में इस शर्त पर त्थाई किया जाता है कि इन्हें शिक्षा विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभाग द्वारा पदों की तमीका के कारण कोई परिकल्पना, आदेश व पद समाप्त होता है तो वह आदेश स्वयं विभाग व संस्था का जो भी इस सम्बन्ध में निर्णय होगा वह आपको मान्य होगा।

तथित

क्रमांक-एम. एस. जे. ए. / 2001-02/ए-6 /

दिनांक

प्रतिलिपि सुचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को भेजी जा रही है-

1. प्राचार्य, श्री महेन्द्र ती. मा. विद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेह है कि कार्य आर्क मोडिफिकेशन [डाली लेट रक], जो कि संबंधित कर्मचारी से पूर्व रूप से मरवाकर पुनः इस कार्यालय को अधिलम्ब लोटाने की व्यवस्था करावें।
2. शिक्षा विभाग
3. लेह डी. डी. केन्द्रीय कार्यालय
4. आदेश/सुरक्षा पंजिका
5. संबंधित कर्मचारी
6. निजी पंजिका
7. संस्थान समिति की पत्रावली पंजिका

प्रतिलिपि- उपाध्यक्ष, श्री महेन्द्र शिक्षण संस्थान, जोधपुर

तथित



DFA
RL



क्रमांक : जि.शिक्षा/सौध/लेखा-क/96/

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर

दिनांक :

कार्यालय आदेश

शिक्षा विभागीय प्रतिनिधि को उपस्थिति में चयन समिति द्वारा अनुदानित स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित आशार्थियों के सम्बन्ध में प्रबंध समिति में प्रेषित सूचना एवं सिफारिश के आधार पर, पेरिशिड 10868 में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत चयनित के अन्तर्गत निर्धारित प्राल्प में प्रेषित सूचना एवं सिफारिश के आधार पर, पेरिशिड 10868 में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत चयनित आशार्थियों का विभागीय अनुमोदन नियम 28 के तहत उनके नाम के सामने अंशानुसार प्रदान किया जाता है ।

क्र.सं.	आशार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता	पद का नाम एवं वेतनमान	वैतन का कारण	परीवीक्षण काल की अवधि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री. रमेश चन्द्राणी	श्री. रामचन्द्राणी	15.8.57	प्रा. B.E.D.	जोड़क अध्यापक (5000/-)	वैतन	एक वर्ष के परीवीक्षण काल पर	अनुदान नियम 29 के अन्तर्गत कार्य-वाही करें ।
2	श्री. रमेश चन्द्राणी	श्री. रामचन्द्राणी	31.5.63	प्रा. B.E.D.	जोड़क अध्यापक (5000/-)	वैतन	एक वर्ष के परीवीक्षण काल पर	अनुदान नियम 29 के अन्तर्गत कार्य-वाही करें ।
3	श्री. रमेश चन्द्राणी	श्री. रामचन्द्राणी	15.8.57	प्रा. B.E.D.	जोड़क अध्यापक (5000/-)	वैतन	एक वर्ष के परीवीक्षण काल पर	अनुदान नियम 29 के अन्तर्गत कार्य-वाही करें ।

उपरोक्त विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी ।

चयनसिद्धि-

चयनसिद्धि का क्रमांक : 11.9.94

क्रमांक : जि.शिक्षा/सौध/लेखा-क/अनुमोदन/98-89/99-2008

प्रतिलिपि -

1. उप निदेशक शु. & शिक्षा विभाग, जोधपुर
2. संबंधित संस्था सचिव/व्यवस्थापक सहस्री प्रमुख, जोधपुर
3. निजी रकम पंजीक

जिला शिक्षा अधिकारी
जोधपुर
दिनांक : 20.6.99

जिला शिक्षा अधिकारी
जोधपुर

POST HELD PROMOTION

पणवारी, जोधपुर

R

हस्ताक्षर
कर्म

1	2	3	4	5	6	7
पद	नियुक्ति मूल है या स्थानापन्न और स्थाई है या अस्थायी	यदि स्थानापन्न है तो लिखें : () मूल नियुक्तियां () राज्य सेवाकाल नियम 188 राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत पेन्शन गणन योग्य है या नहीं	वेतन मूल पद	स्थानापन्न का अतिरिक्त वेतन	अन्य पारिताप जो वेतन शब्द में आते हैं	नियुक्ति तिथि

Appointed through Selection Board as a Teacher

vide order No. 6744 dt. 24.11.98 W.E.F. 26.11.98

to Sir Mithun or approval Received Mithun Sir Lessons

Rs. 1400/- in Grade 1400-2600

उस कॉमिशन अधीन काम कर रहा था कि 25.11.2000 के आदेश में दर्शाया गया था कि

26.11.99 Rs. 5675/- (5500-9000)

26.11.2000 Rs. 5850/- (5500-9000)

26.11.2001 Rs. 6025/- (5500-9000)

Inc Order No. 5580 dt. 7.11.2001

Rs. 1400/- (1400-2600)

26.11.98

Rs. 5675/- (5500-9000)

26.11.99

Rs. 5850/- (5500-9000)

26.11.2000

Rs. 6025/- (5500-9000)

26.11.2001

ASh

ASh

ASh

ASh